

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./94/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/159

1. कालू पुत्र हेमा जाति रेगर निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर
  2. भंवरलाल पुत्र हेमा जाति रेगर निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर
  3. सत्यनारायण पुत्र हेमा जाति रेगर निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर
- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय  
जिला-अजमेर।
- अप्रार्थी

### निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-16.07.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य  
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 327 में दर्ज खसरा संख्या 3231 रकबा 0.31, खसरा नं. 4589 रकबा 0.44, खसरा नं. 4590 रकबा 0.56, खसरा नं. 4591 रकबा 0.45, खसरा नं. 4615 रकबा 0.65, खसरा नम्बर 4616 रकबा 1.13, खसरा नम्बर 4617 रकबा 0.66, खसरा सं. 4617/4672 रकबा 0.51, खसरा सं. 4618 रकबा 0.57, खसरा सं. 4619 रकबा 0.55 और खसरा सं. 4620 रकबा 0.83 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 6.66 हैक्ट जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चांपानेरी के खाता संख्या 327 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दोराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः वाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

भू-राजस्व अधिनियम का अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 327 में दर्ज खसरा संख्या 3231 रकबा 0.31, खसरा नं. 4589 रकबा 0.44, खसरा नं. 4590 रकबा 0.56, खसरा नं. 4591 रकबा 0.45, खसरा नं. 4615 रकबा 0.65, खसरा नम्बर 4616 रकबा 1.13, खसरा नम्बर 4617 रकबा 0.66, खसरा सं. 4617/4672 रकबा 0.51, खसरा सं. 4618 रकबा 0.57, खसरा सं. 4619 रकबा 0.55 और खसरा सं. 4620 रकबा 0.83 कुल किता 11 कुल रकबा 6.66 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय अजमेर